

हाई सीज़ ट्रीटी

प्रलिस के ललल:

राष्ट्रीय कषेत्राधिकार से परे जैवविधिता पर संघा (BBNJ), हाई सीज़ ट्रीटी, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभसिमय (UNCLOS), उच्च सागर पर 1958 जनिवा कन्वेंशन, वशिषिट आरथकि कषेत्र, जलवायु परविरतन, अल नीनो, महासागर अमलीकरण, पर्यावरण परभाव आकलन (EIA), कषेत्र में सभी के ललल सुरक्षा और वकिकास (SAGAR), सतत वकिकास लक्ष्य (SDG) ।

मेन्स के ललल:

हाई सीज़ ट्रीटी, भारत और वशिव के ललल महत्त्व

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय कषेत्राधिकार से परे जैवविधिता (Biodiversity Beyond National Jurisdiction- BBNJ) समझौते, जसिहाई सीज़ ट्रीटी भी कहा जाता है, का समर्थन और अनुमोदन करने का नरिणय ललल है ।

- यह वैश्वकि समझौता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग के माध्यम से उच्च सागरीय समुद्री जैवविधिता की सुरक्षा के ललल बनाया गया है और यह समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभसिमय (United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS) के ढाँचे के भीतर संचाललत होगा ।

हाई सी क्या हैं?

परचिय:

- उच्च सागरों पर 1958 के जेनेवा अभसिमय के अनुसार, समुद्र के वे हसिसे जो कसिी देश के प्रादेशकि जल या आंतरकि जल में शामिल नहीं हैं, हाई सी कहलाते हैं ।
- यह कसिी देश के अनन्य आरथकि कषेत्र (जो समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है) से परे का कषेत्र है तथा जहाँ तक कसिी राष्ट्र का जीवलि और नरिजीव संसाधनों पर अधिकार कषेत्र होता है ।
- कोई भी देश समुद्र में संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के ललल ज़मिमेदार नहीं है ।

महत्त्व:

- उच्च समुद्र वशिव के 64% महासागरों और पृथ्वी की सतह के 50% भाग को कवर करते हैं, जसिसे वे समुद्री जीवन के ललल महत्त्वपूर्ण बन जाते हैं ।
- वे लगभग 270,000 ज्ञात प्रजातियों का आवास हैं ।
- उच्च समुद्र जलवायु को नरिंतरलि करते हैं, कार्बन को अवशोषलि करते हैं, सौर वकिरण को संग्रहलि करते हैं तथा ऊष्मा वतलरलि करते हैं, जो ग्रहीय स्थरलिता और जलवायु परविरतन को कम करने के ललल महत्त्वपूर्ण है ।
- वे मानव अस्तित्व के ललल आवश्यक हैं तथा समुद्री भोजन, कच्चा माल, आनुवंशकि और औषधीय संसाधन जैसे संसाधन प्रदान करते हैं ।

संकट:

- वे वायुमंडल से ऊष्मा अवशोषलि करते हैं और अल नीनो तथा महासागरीय अमलीकरण जैसी घटनाओं से प्रभावलि होते हैं, जसिसे समुद्री वनस्पतियों एवं जीवों को खतरा हो रहा है ।
 - यदि वर्तमान तापमान वृद्धि और अमलीकरण की प्रवृत्तलि जारी रही तो वर्ष 2100 तक कई हजार समुद्री प्रजातियों के वलिप्त होने का खतरा होगा ।
- खुले समुद्र में मानवजनलि दबावों में समुद्र तल पर खनन, ध्वनि प्रदूषण, रासायनकि और तेल रसिाव तथा आग, अनुपचारलि अपशषिट (एटीबायोडकि सहलि) का नपिटान, अत्यधिक मछली पकड़ना, आक्रामक प्रजातियों का प्रवेश एवं तटीय प्रदूषण शामिल हैं ।
- इन खतरों के बावजूद, वर्तमान में केवल 1% उच्च समुद्र ही संरक्षलि है ।

हाई सीज़ ट्रीटी क्या है?

■ परिचय:

- औपचारिक रूप से इसे **राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता** कहा जाता है। संक्षेप में इसे BBJN या हाई सीज़ ट्रीटी के रूप में जाना जाता है।
- यह **महासागरों के पारस्थितिकी स्वास्थ्य** को बनाए रखने के लिये **UNCLOS** के अंतर्गत एक नया अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचा है।
- इस ट्रीटी पर वर्ष **2023 में बातचीत की गई** थी और इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना तथा किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर समुद्री जल में जैवविविधता एवं अन्य समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है।

■ प्रमुख उद्देश्य:

- **समुद्री पारस्थितिकी का संरक्षण एवं सुरक्षा:** इसमें समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (Marine Protected Areas- MPA) की स्थापना शामिल है, जहाँ समुद्री पारस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिये गतिविधियों को वनियमित किया जाएगा।
- **समुद्री संसाधनों के लाभों का उचित एवं न्यायसंगत बँटवारा:** संधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाणज्यिक रूप से मूल्यवान समुद्री जीवों से प्राप्त लाभ, चाहे वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से हो या वाणज्यिक दोहन के माध्यम से, सभी देशों के बीच समान रूप से साझा किये जाएँ।
- **अनविर्य पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Environmental Impact Assessments - EIA):** संधि किसी भी ऐसी गतिविधि के लिये पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessments) करना अनविर्य बनाती है, जो समुद्री पारस्थितिकी तंत्र को संभावित रूप से प्रदूषित या नुकसान पहुँचा सकती है, भले ही वह गतिविधि किसी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में हो, लेकिन उसका प्रभाव उच्च समुद्र में होने की संभावना है।
- **क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण:** इससे विकासशील देशों को महासागरों के लाभों का पूरा उपयोग करने में मदद मिलेगी, साथ ही उनके संरक्षण में भी योगदान मिलेगा।

■ हस्ताक्षर और अनुसमर्थन:

- जून 2024 तक, 91 देशों ने इस **संधि पर हस्ताक्षर किये** हैं, जिनमें से 8 ने इसकी पुष्टि की है। 60 देशों द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने के **120 दिनों बाद** यह कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगी।
 - अनुसमर्थन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई देश किसी **अंतरराष्ट्रीय कानून** के प्राधानों से कानूनी रूप से बंधे होने के लिये सहमत होता है, जबकि हस्ताक्षर करना अनुसमर्थन होने तक कानूनी दायित्व के बिना समझौते को दर्शाता है। अनुसमर्थन की प्रक्रिया अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है।

हाई सीज़ ट्रीटी का महत्त्व क्या है?

■ "वैश्विक साझा" चुनौती का समाधान:

- महासागर के **64%** भाग को कवर करने वाला हाई सी वैश्विक साझी संपदा है, जिसके कारण **संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जैवविविधता की हानि और पर्यावरणीय चुनौतियाँ** उत्पन्न हो रही हैं।
 - संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि **वर्ष 2021** में लगभग **17 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में फेंका गया** और आने वाले वर्षों में इस मात्रा में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- इस संधि की तुलना जलवायु परिवर्तन पर **2015 के पेरिस समझौते** से की जा रही है। इससे विशाल महासागर की सुरक्षा और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है।

■ UNCLOS का पूरक:

- BBJN, **UNCLOS** के सदिधांतों के अनुरूप है, जो महासागरों के लिये व्यापक कानूनी ढाँचा तैयार करता है।

- UNCLOS महासागरों में समतापूर्ण पहुँच, संसाधन उपयोग और जैवविविधता संरक्षण के लिये सामान्य सदिधांत निर्धारित करता है, लेकिन इसमें **वशिष्ट कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों का अभाव** है।
- **हाई सीज़ ट्रीटी इस अंतर को दूर करेगी** तथा एक बार लागू हो जाने पर यह UNCLOS के तहत **कार्यान्वयन समझौते** के रूप में कार्य करेगी।
- यह हाई सी में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण और प्रबंधन के लिये एक **कानूनी तंत्र** प्रदान करेगा।
- यह **वकिसति और विकासशील देशों के हितों में संतुलन स्थापित** करते हुए समुद्री संसाधनों के न्यायसंगत तथा सतत उपयोग को सुनिश्चित करेगा।

■ उभरते खतरों का मुकाबला:

- यह ट्रीटी गहरे समुद्र में खनन, महासागरीय अम्लीकरण और प्लास्टिक प्रदूषण जैसी उभरती चुनौतियों से निपटती है, जो उच्च समुद्री पारस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य तथा लचीलेपन के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं।

■ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करना:

- एक **मज़बूत संस्थागत ढाँचे और नरिणय लेने की प्रक्रिया** की स्थापना करके, हाई सीज़ ट्रीटी महासागर शासन में अधिक **अंतरराष्ट्रीय सहयोग तथा समन्वय की सुविधा** प्रदान करती है।

■ सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में योगदान:

- इस ट्रीटी के सफल कार्यान्वयन से **SDG 14 (जल के नीचे जीवन)** की **प्राप्ति में महत्त्वपूर्ण योगदान** मिलेगा।

■ भारत के लिये महत्त्व:

- **वैश्विक नेतृत्व:** समुद्री प्रशासन एवं समुद्री संसाधन स्थापित करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, जैसे **समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA)** की स्थापना, इसके वैश्विक नेतृत्व को रेखांकित करती है और इसे पर्यावरण चैंपियन बनाती है।
- **घरेलू नीति:** संधि के **EIA** में भारत को अपनी समुद्री नीतियों को संरेखित करने तथा उत्तरदायित्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा

देना है।

- **आर्थिक लाभ:** समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से लाभ-साझाकरण के प्रावधान भारत की **ब्लू इकोनॉमी लक्ष्यों के अनुरूप** हैं, जसिसे संभावति आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे।
- **सामरिक वचिार:** इस संधिका अनुसमर्थन भारत की हृदि-प्रशांत स्थितिको मज़बूत करेगा तथा **SAGAR पहल** के माध्यम से सतत समुद्री पर्यावरण को समर्थन प्रदान करेगा।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभसिमय (UNCLOS)

- अप्रैल 1958 में, प्रादेशिक समुद्रों, समीपवर्ती क्षेत्रों, महाद्वीपीय शेल्फों, उच्च समुद्रों(हाई सी), मत्स्य पालन और जीवति समुद्री संसाधनों के संरक्षण पर 4 जनिवा अभसिमय को अपनाया गया था। इन अभसिमय को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि(UNCLOS) द्वारा प्रतसिथापति कयिा गया, जसि वर्ष 1982 में पुष्ट और अनुमोदति कयिा गया था।

UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS)

The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), also called Constitution for the oceans, has 168 parties, and sets out the legal framework within which all activities in the oceans and seas must be carried out.



The Convention has created three new institutions on the International level

THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA 01



An independent judicial body. It has jurisdiction over any dispute concerning the interpretation or application of the Convention, and over all matters specifically provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the Tribunal

02 THE INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY

ISA has the mandate to ensure the effective protection of the marine environment from harmful effects that may arise from deep-seabed related activities




THE COMMISSION ON THE LIMITS OF THE CONTINENTAL SHELF 03



To facilitate the implementation of the UNCLOS in respect of the establishment of the outer limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles (M) from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured

- यह महासागरों को 5 मुख्य क्षेत्रों में वभिाजति करता है:



समुद्र संबंधी अन्य अभिसमय कौन-से हैं?

- महाद्वीपीय मग्नतट (शेलफ) पर अभिसमय 1964: यह महाद्वीपीय शेलफ के प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने और उनका दोहन करने वाले राज्यों के अधिकारों को परभाषित एवं सीमांकित करता है।
- मत्स्यन और हाई सी के जीवित संसाधनों के संरक्षण पर अभिसमय, 1966: यह हाई सी के जीवित संसाधनों के संरक्षण संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु अभिकल्पित किया गया था क्योंकि इनमें से कुछ संसाधनों पर आधुनिक तकनीकी प्रगतिके कारण अतदीहन का खतरा है।
- लंदन अभिसमय 1972: इसका लक्ष्य सभी समुद्री प्रदूषण स्रोतों के प्रभावी नियंत्रण को प्रोत्साहित करना और अपशष्ट एवं अन्य वस्तुओं का सुरक्षित नपितान कर समुद्र को प्रदूषित होने से बचाने के लिये सभी व्यावहारिक कदम उठाना है।
- MARPOL अभिसमय 1973: इसमें परचालन या आकस्मिक कारणों से जहाजों द्वारा समुद्री पर्यावरण प्रदूषण को शामिल किया गया है।
 - यह तेल, हानिकारक तरल पदार्थ, पैकेज्ड फॉर्म में हानिकारक पदार्थ, सीवेज और जहाजों से उत्पन्न अपशष्ट आदि के कारण होने वाले समुद्री प्रदूषण के विभिन्न रूपों को सूचीबद्ध करता है।

आगे की राह

- राष्ट्र की सरकारों को इस संधिका अंगीकार कर इसका अनुसमर्थन करते हुए हाई सी संधिको प्रभावशील बनाना चाहिये। जलीय जीवन और मानव कल्याण के लिये संधिके सफल कार्यान्वयन तथा नगिरानी को सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में सहयोग महत्त्वपूर्ण है।
- हाई सी संधिका अंगीकार कर भारत और अन्य देश नौवहन तथा मत्स्यन के प्रभाव को कम कर सकते हैं एवं एक सतत् ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा दे सकते हैं जो अर्थव्यवस्था तथा समुद्री पारस्थितिकी तंत्र दोनों को लाभ पहुँचाती है।
- यह संधि भारत को महासागर संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने और विश्व में हाई सी संरक्षण में अग्रणी भूमिका नभाने का अवसर प्रदान करती है।

नषिकर्ष

हाई सी संधि विश्व के महासागर अभिशासन के संबंध में एक ऐतिहासिक समझौता है। इस संधिका अनुसमर्थन करने का भारत का नरिणय एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिसके समग्र विश्व में समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत् उपयोग के लिये दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. हाई सी संधिक्या है और यह समुद्री पारस्थितिकी तंत्र तथा अर्थव्यवस्था के बेहतर संरक्षण एवं प्रशासन में कसि-प्रकार मदद करेगी?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. 'ट्रांस-पैसफिक पारटनरशिप' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2016)

1. यह चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है ।
2. यह केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से कयिा गया सामरिक गठबंधन है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

प्रश्न. 'क्षेत्रीय सहयोग के लयि इंडयिन ओशन रमि एसोसिएशन फॉर रीजनल को-ऑपरेशन (IOR_ARC)' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2015)

1. इसकी स्थापना हाल ही में घटति समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधपिलाव (आयल स्पलिस) की दुर्घटनाओं के प्रतक्रियास्वरूप की गई है ।
2. यह एक ऐसी मैत्री है जो केवल समुद्री सुरक्षा हेतु है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. दक्षणि चीन सागर के मामले में समुद्री भू-भागीय वविाद और बढ़ता तनाव समस्त क्षेत्र में नौपरविहन और ऊपरी उडान की स्वतंत्रता को सुनश्चिति करने के लयि समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता की अभिष्टिकरते हैं । इस संदर्भ में भारत तथा चीन के बीच द्वपिक्षीय मुद्दों पर चर्चा कीजयि । (2014)